प्रशिक्षण पश्चात् इच्छुक अभ्यार्थीयों को स्व–पोषित नस्ल सुधार कार्यक्रम से जोड़कर स्व–रोजगार हेतु पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना संस्थान द्वारा प्रस्तावित है। पशु सेवा केन्द्रों पर संस्थान के मार्गदर्शन एवं नियमानुसार कार्य करने पर संस्थान द्वारा तय मासिक मानदेय पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है।

पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य RCF द्वारा विपणित उत्पादों को पशुपालको तक पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवाने, साथ ही साथ नस्ल सुधार कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु कृत्रिम गर्भाधान भी सेवामें पशुपालकों को उपलब्ध करवाना।

"सम्पूर्ण पशुधन विकास योजना" के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्रशिक्षित, विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री/डिप्लोमाधारी अभ्यार्थीयों को ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केन्द्रों के संचालन का जिम्मा सौंपा जायेगा। जहां पर संस्थान के अधीन कार्य करने वाले पशु चिकित्सकों के उचित मार्गदर्शन एवं सलाह पर उक्त केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

पशु सेवा केन्द्र संचालन हेतु नियम एवं शर्ते :–

(1) संस्थान द्वारा योग्य अभ्यार्थियों के चयन पश्चात् चयनित अभ्यार्थियों को RCF उत्पादों हेतु न्यूनतम 25000/–रू0 सुरक्षा राशि के रूप में संस्थान में जमा करवाना आवश्यक होगा जो न्यूनतम पांच वर्ष तक कार्य कर केन्द्र छोड़ने पर वापसी देय होती है। कृत्रिम गर्भाधान सेवायें हेतु आवश्यक उपकरण जैसे जार, सीमन, LN_2 एवं अन्य उपकरणों हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

(2) प्रतिमाह पशु सेवा केन्द्रों पर RCF द्वारा विपणित उत्पादों की ब्रिकी (न्यूनतम 10,000/–रू0) तथा प्रतिमाह 60 कृत्रिम गर्भाधान एवं कम से कम 30 प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवायें पशुपालको को देने पर संस्थान द्वारा प्रतिमाह 10,000/–रू0 देने का प्रावधान है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करने पर अभ्यार्थी का मानदेय इसी अनुपात में बढ़ सकता है।